कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री एम0 के0 लेदर ट्रेडिंग कम्पनी, डी-33, साइट-बी, सूरजपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**039 / 14, 18.07.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री शकील अहमद, अधिकृत प्रतिनिधि।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री एम0 के0 लेदर ट्रेडिंग कम्पनी, डी-33, साइट-बी, सूरजपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा द्वारा दिनांक 18.07.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

Hides & Skins पर विशेष अतिरिक्त कर की देयता है या नहीं।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु शकील अहमद, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि दिनांक 26.05.2014 से प्रभावी उत्तर प्रदेश वैट (संशोधन) अध्यादेश, 2014 से उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3-A में किये गये संशोधन, जिसमें धारा-3-A की उपधारा-(2) के क्लाज-(b) को हटा दिया गया है, के पश्चात Hides & Skins पर विशेष अतिरिक्त कर की देयता के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह भी कहा गया है कि Hides & Skins केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में विशेष महत्व की घोषित वस्तु है जिस पर अभी तक विशेष अतिरिक्त कर की देयता प्राविधानित नहीं थी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पत्र संख्या-557, दिनांक 14.08.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956 की धारा-14 के अन्तर्गत उपधारा-14 (III) के अन्तर्गत Hides & Skins को (Goods of special importance in interstate trade or commerce) रखा गया है।

व्यापारी द्वारा दाखिल रिटर्न तथा प्राप्त टिन के अनुसार Hide & Skin के प्रोसेसिंग एवं ट्रेडिंग का कार्य किया जाता है। इस कार्य में रॉ स्किन को कैमिकल द्वारा सफाई की जाती है। इस प्रक्रिया में Hide & Skin का मूल स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए मेरे विचार से जॉच पर पाये गये तथ्यों के अनुसार अतिरिक्त कर की देयता सम्बन्धित वस्तु पर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में घोषित ‘‘ Hide & Skin ’’ से आच्छादित होने के कारण अतिरिक्त कर की देयता नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि शासन की नोटिफिकेशन संख्या-क0नि0-2-1169 / XI-9 (10) / 08-U.P. Act-5-2008-आदेश-(45)-2009, दिनांक 29.05.2009, नोटिफिकेशन संख्या-307, दिनांक 19.02.2010 एवं नोटिफिकेशन संख्या-419, दिनांक 31.03.2011 के द्वारा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 के अन्तर्गत घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं को छोड़कर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की

...2

अनुसूची-II में वर्णित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर की देयता निर्धारित की गयी है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3-A (1) में राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से वस्तुओं की खरीद-बिक्री पर अतिरिक्त कर आरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। धारा-3-A (2) (b) में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में घोषित वस्तुओं को उक्त प्राविधान से पृथक रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के विधायी अनुभाग-1 की नोटिफिकेशन संख्या-630, दिनांक 26.05.2014 से प्रसारित उत्तर प्रदेश वैट (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3-A (2)(b) को निकाल दिया गया है जिसके कारण राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से केन्दीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 में घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं पर भी अतिरिक्त कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभी तक केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 में घोषित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाये जाने हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। अत: वर्तमान में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 में घोषित होने के कारण Hide & Skin पर अतिरिक्त कर की देयता नहीं होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट (संशोधन) अध्यादेश, 2014 प्रभावी दिनांक 26.05.2014 के पश्चात उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3-A की उपधारा (1) में राज्य सरकार द्वारा, शक्तियाँ प्राप्त होने के बावजूद भी, अभी तक केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त कर आरोपित किये जाने सम्बन्धी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। इसलिए अधिसूचना संख्या-1169, दिनांक 29.05.2009, अधिसूचना संख्या-307, दिनांक 19.02.2010 एवं अधिसूचना संख्या-419, दिनांक 31.03.2011 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार घोषित वस्तु होने के कारण Hides & Skins पर अभी वर्तमान में अतिरिक्त कर की कोई देयता नहीं होगी।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाए।

दिनांक :16 सितम्बर, 2014

ह0 / 16.09.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।